फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मांगीलाल | **विपक्षी : श्री प्रफुलचन्द**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 41/22**

जीसीएमएस : 2022/135

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी को रजिस्टर्ड एडी के नोटिस पेश करने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड एडी के नोटिस पेश नहीं किये गये। पेशी दिनांक 18.10.2024 को अधिवक्ता प्रार्थी को आगाह किया गया था कि रजिस्टर्ड एडी के नोटिस पेश नहीं करने पर सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 5 के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इसके पश्चात् प्रकरण में तीन बार पेशी नियत की गई परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड एडी के नोटिस पेश नहीं किये गये। चूंकि प्रकरण केवल मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा का हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड एडी के नोटिस पेश नहीं करने से प्रतीत होता है कि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी कोई विवाद वर्तमान में नहीं है। यदि ऐसा कोई विवाद होता तो अधिवक्ता प्रार्थी अवश्य ही विपक्षीगण के नोटिस पेश कर बहस करना चाहता। अतः प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 5 के तहत् खारिज योग्य पाया जाता हैं। **:: <u>आदेश</u> ::** अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थी स्वयं नोटिस पेश करने में असफल रहने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के तहत् खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:22:17 IST
Reason: SelfAttested